



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0026 **Date (दिनांक):** 28/07/2026
15:00

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 28/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 28/07/2026
Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 13:00 hrs **Time To (समय तक):** 13:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/07/2026 **Time (समय):** 14:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Time (समय):** 28/07/2026 14:30 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): OLD PWD REST HOUSE, NEAR OLD BUSTAND FATEHABAD, FATEHABAD
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): SURESH KUMAR
- (b) Father's Name (पिताका नाम): PRITHVI SINGH
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	DAHMAN, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	DAHMAN, FATEHABAD, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	RAMPAL THANEDAR		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

इंस्पेक्टर साहब,

विजिलेंस फतेहाबाद



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं सुरेश कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह वासी गांव दहमाण तहसील भूना जिला फतेहाबाद का रहने वाला हू। मेरा व मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र पुत्र राजकुमार वासी दहमाण नर्सरी व होटल का पार्टनरशिप में काम करते हैं। हमारे होटल के पास मन्जीत व बिन्दर वासी गांव बांस जिला हिसार का शराब का ठेका है। जो दिनांक 21-06-2025 को मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व उसके साथी प्रदीप उर्फ जोनी का शराब के ठेकेपर लड़ाई झगडा हो गया था। जिसपर मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी वासी दहमाण के खिलाफ थाना भूना में मुकदमा न0 186/2025 दर्ज हो गया था। जो उपरोक्त मुकदमा का आई.ओ. रामपाल थानेदार थाना भूना था। जो रामपाल थानेदार ने इस केस में मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके एक महीने बाद मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी का शराब ठेकेदार मन्जीत व बिन्दर के साथ लड़ाई झगडे वाले केस में समझौता हो गया था। जो मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी का केस कोर्ट नम्बर 11 फतेहाबाद में चल रहा है। जिस सम्बन्ध में थानेदार रामपाल की गवाही होनी बकाया है। जो कल दिनांक 27-07-2026 को मुकदमा न0 186/2025 थाना भूना मैं अपने चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी के साथ कोर्ट फतेहाबाद में आया हुआ था वहा पर मुझे व मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी को रामपाल थानेदार जो अब थाना भटटु में तैनात है वह हमको मिला और उसने कहा कि इस केस में दिनांक 28-07-2026 को गवाही नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी के हक में देनी तो आपको मुझे 20/30 हजार रुपये देने पडेगे। वरना मैं कोर्ट में आपके चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी के केस में गवाही देने नहीं आऊगाँ। जो थानेदार रामपाल की गवाही पूर्ण होने पर ही मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र व प्रदीप उर्फ जोनी का कोर्ट में केस खत्म होगा। जो कि रामपाल थानेदार गवाही लेने की ऐवज में 20/30 हजार रुपये रिश्त राशि की माग कर रहा है। जो मैंने रिश्त राशि की लेन देन की बातचीत की आडियो रिकार्डिंग रिकोर्डिंग डिवाइस में कर ली है। जो मैं आपको आडियो रिकोर्डिंग डिवाइस बाद में पेश कर दुगाँ। मैं रामपाल थानेदार को रिश्त राशि 20000/- रुपये नहीं देना चाहता। रामपाल थानेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

Sd/-सुरेश कुमार

प्रार्थी



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सुरेश कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह वासी गांव दहमाण

तहसील भूना जिला फतेहाबाद ।

मो0 न0 9812868740

दिनांक 28-07-2026

कार्यवाही पुलिस - आज मन निरीक्षक नजदीक पुराना बस अड्डा, पी0डब्लू डी0 रैस्ट हाउस फतेहाबाद मौजूद था कि शिकायतकर्ता सुरेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह वासी गांव दहमाण जिला फतेहाबाद मिला जिसने मन निरीक्षक को एक दरखास्त पेश की है । उक्त हालात बारे पुलिस अधीक्षक महोदया SVACB हिसार को बतलाए गये । जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत कार्यवाही करने बारे आदेश दिये गये तथा पुलिस अधीक्षक महोदया ने उपायुक्त फतेहाबाद द्वारा डियुटी मैजिस्ट्रेट की सुचि में से श्री बलबीर कुमार जिला मत्सय अधिकारी फतेहाबाद को बतौर डियुटी मैजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया । उसके उपरान्त मन निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल न. 94677-79555 से राजपत्रित अधिकारी श्री बलबीर कुमार जिला मत्सय अधिकारी फतेहाबाद के मो. न. 94161-46986 पर काल करके नजदीक पुराना बस अड्डा, पी0डब्लू डी0 रैस्ट हाउस फतेहाबाद में हाजिर आने बारे कहा और मन निरीक्षक ने बजरिया फोन रैडिंग पार्टी कर्मचारी L/SI, गीता न. 71/ फतेहाबाद , ASI सतपाल न.183/ फतेहाबाद, ASI जगबीर सिंह न. 990/ हिसार. ASI राजेश कुमार न. 103/फतेहाबाद, ASI भरतलाल न. 1417/हिसार, ASI कुलदीप न. 12/फतेहाबाद, E/SI सुखपाल सिंह न. 39/फतेहाबाद, L/CT खुशप्रीत कौर न. 1018/सिरसा को नजदीक पुराना बस अड्डा, पी0डब्लू डी0 रैस्ट हाउस फतेहाबाद में पहुंचने बारे अवगत करवाया गया । और कुछ समय पश्चात राजपत्रित अधिकारी श्री बलबीर कुमार जिला मत्सय अधिकारी फतेहाबाद व साथी कर्मचारी विजेन्द्र सेवादार (FCW) कार्यालय मत्सय विभाग फतेहाबाद व रैडिंग पार्टी कर्मचारी नजदीक पुराना बस अड्डा, पी0डब्लू डी0 रैस्ट हाउस फतेहाबाद हाजिर आये जो शिकायतकर्ता के द्वारा पेश की गई दरखास्त के हालात से अवगत होकर मैंने उसका परिचय राजपत्रित अधिकारी श्री बलबीर कुमार जिला मत्सय अधिकारी फतेहाबाद व साथ कर्मचारी विजेन्द्र सेवादार (FCW) कार्यालय मत्सय विभाग फतेहाबाद से करवाया। शिकायतकर्ता द्वारा बतलाया कि जिस मुकदमा न.186/2025 थाना भूना जिला फतेहाबाद में गवाही देने की एवज में रामपाल थानेदार थाना भट्टुकला 20000/ रूपए की रिश्त राशी की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार उक्त ने रिश्त राशी मांगने बारे रिकार्डिंग मन निरीक्षक व राजपत्रित अधिकारी . श्री बलबीर कुमार जिला मत्सय अधिकारी उक्त को सुनाई गई तथा जिसकी आडीयो रिकार्डिंग मैंने रिकार्डिंग डिवार्डिस में



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

की हुई है वह रिकार्डिंग डिवाइस आपको बाद में पेश करने बारे कहा तथा शिकायतकर्ता द्वारा मन निरीक्षक को पेश की गई दरखास्त व रिश्त राशी मांगने बारे आडियो रिकार्डिंग के मजबुन से जुर्म जेर धारा 7, पी.सी. एक्ट का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्त स030नि0 कुलदीप न. 12 /फतेहाबाद के हाथ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना हिसार मण्डल हिसार भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा न. से सुचित करें। मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व सम्बंधीत अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय राजपत्रित अधिकारी वा स्वतंत्र गवाह मय रैडिंग पार्टी कर्मचारी मय लैपटाप/प्रिंटर, अनुसंधान किट मय गाड़ी सरकारी एच.आर.03 जी.वी. 7079 मय गाडी प्राईवेट के रैड की आगामी कार्यवाही में व्यस्त होता हूं।

अज:- पुराना पी0डब्लु डी0 रैस्ट हाऊस ,

नजदीक पुराना बस अड्डा फतेहाबाद

Sd/- मनमोहन सिंह

निरीक्षक (मनमोहन सिंह)

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र फतेहाबाद

दिनांक 28-07-2026

AT 1.00 PM

अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर पर कायमी मुकदमा नं. 26 दिनांक 28.07.2026 धारा 7 PC ACT थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा स.उ.नि. कुलदीप 12/फतेहाबाद के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल रिपोर्ट बजरिया EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब फतेहाबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद की सेवा में भेजी जा रही हैं ।



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
MANMOHAN

No. (सं.): 435JND to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919467779555

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mahender Singh



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 322H

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट